

प्रेषक,

दीप कान्त मणि,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषय-

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-9691/IV-F-82(Pension)/Admin(A)
Dated जुलाई 16, 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०-
14/2024/सा-3-243/10-2024/301(1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 के
तहत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के नियुक्ति आदेश उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4 सं०-2430/दो-4-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1 लखनऊ दिनांक 26 मई 2006 द्वारा हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं०-1251/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 16.06.2006 को जनपद गाजियाबाद में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजियाबाद के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु दिनांक 15.11.2003 को विज्ञापन सं०- A-2/ई-1/2003 दिनांकित 15.11.2003 जारी हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है। तदनुसार प्रार्थी शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को **पुरानी पेंशन योजना** के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की महती कृपा की जाय।

सादर।

भवदीय


(दीप कान्त मणि)

दिनांक: 25.07.2024


अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

संलग्नक:-पुरानी पेंशन योजना में
शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

ANRAICH JUDGES

No. 1297-I-16-24 Dated 25-07-2024

Forwarded


District Judge
Anraich
25-07-2024